

14/15/16

115



राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

पत्र सं. पं0नि0-30-77/2016- 1673

पटना, दिनांक- 11 मार्च, 2016

प्रेषक,

दुर्गेश नन्दन,
सचिव।

पंचायत आम निर्वाचन-2016
महत्वपूर्ण

सेवा में,

जिला पदाधिकारी -सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, (पंचायत), अररिया।

विषय :-

पंचायत आम निर्वाचन, 2016 - मतदान केन्द्रों की स्थापना एवं आयोग का अनुमोदन।

प्रसंग :-

आपका पत्रांक 246 दिनांक 19.02.2016

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके प्रासंगिक पत्र से प्राप्त निम्नांकित प्रखण्डों के लिये स्तम्भ-3 में अंकित मतदान केन्द्रों के गठन के प्रस्ताव की जाँच के पश्चात् बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम 26 के अन्तर्गत स्तम्भ-4 में अंकित संख्या में मतदान केन्द्रों पर राज्य निर्वाचन आयोग का अनुमोदन संसूचित किया जाता है।

क्र0	प्रखंड का नाम	जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पं0) द्वारा प्रस्तावित मतदान केन्द्रों की संख्या	आयोग द्वारा अनुमोदित मतदान केन्द्रों की संख्या
1	2	3	4
1	सिकटी	186 + 16 सहायक मतदान केन्द्र	202
2	अररिया	428 + 35 सहायक मतदान केन्द्र	463
3	कुर्साकांटा	175 + 5 सहायक मतदान केन्द्र	180
4	भरगामा	271 + 8 सहायक मतदान केन्द्र	279
5	फारबिसगंज	442 + 50 सहायक मतदान केन्द्र	492
6	रानीगंज	455 + 18 सहायक मतदान केन्द्र	473
7	पलासी	278 + 16 सहायक मतदान केन्द्र	294
8	जोकीहाट	351 + 20 सहायक मतदान केन्द्र	371
9	नरपतगंज	406 + 22 सहायक मतदान केन्द्र	428
कुल मतदान केन्द्रों की संख्या		2992 + 190 = 3182	3182

2. मतदान केन्द्रों की सूची बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम 27 के अनुसार सर्वसाधारण की जानकारी हेतु नियम-8 के उप नियम (1) में विहित रीति से प्रकाशित की जाय तथा उस सूचना आयोग को दी जाए।

विश्वासभाजन,

सचिव।